न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1516

1. नेतराम पुत्र श्री हीराराम जाति गुर्जर निवासी चला की ढाणी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज0।

— अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
2. तहसीलदार नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज0।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर निर्णय दिनांक 02.04.2025 प्रकरण संख्या 49/2025 उनवानी तहसीलदार नीमकाथाना बनाम गैर मुमकिन रास्ता में पारित गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रमोद कुमार माडिंया, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 11.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 02.04.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 03.07.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा 18.03.2025 को चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन करवाने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रेषित किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर की रिपोर्ट अनुसार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट, जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में आवगमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों को राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम चला की ढाणी पटवार मण्डल मण्ढोली तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.52 हैक्ट0, किस्म बंजड में से 0.0240 हैक्ट0, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.44 हैक्ट0, किस्म बारानी–ा में से 0.0330 हैक्ट0, खसरा नम्बर 189 रकबा 1.19 हैक्ट0, किस्म बारानी–ा में से 0.04 हैक्ट0 रास्ता कुल 04 मीटर चौडा व 230 मीटर लम्बाई कुल 920 वर्ग मीटर का गै0मु0 रास्ता का मुख्य सडक चला की ढाणी मावण्डा कलां से ढाणी सिरसावाली में पानी की टंकी तक का प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्रेषित किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत मण्ढोली का मांग पत्र, प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, रास्ते के संलग्न फोटोग्राफ, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित कर मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट पेश की गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 18.03.2025 को

स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया गया कि वे प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने, संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम करने, उक्त गै0मु0 रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखने, तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रखने तथा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2025 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 02.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट नेतराम पुत्र श्री हीराराम द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 02.04.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांकित 02.04.2025 विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित आदेश होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यात्मक व कानूनी त्रुटि की है तथा सार्वजनिक व आम रास्ता नही होने के बावजूद भी अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 189 में रास्ता होना उल्लेखित करते हुए रास्ता दर्ज करने का आदेश धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम तथा राजस्व भू–अभिलेख नियम के प्रावधानों के तहत कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है जो कानूनी परिपेक्ष में अवैध होने से खारिज किया जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है। खसरा नम्बर 189 रकबा 1.1900 हैक्टेयर बारानी 2 की भूमि अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय श्री हीरा की खातेदारी भूमि थी। तथा उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार को कोई सार्वजनिक व आम रास्ता नही रहा है तथा अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय श्री हीरा की मृत्यु वर्ष 2021 में हो गई तथा उनकी मृत्यु होने के बाद उक्त वर्णित भूमि अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि है जिस पर अपीलार्थी काबिज काश्त होकर उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है उक्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत मण्ढोली नीमकाथाना जिला सीकर राज० के द्वारा दिनांक 23.05.2023 को बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता नही होने के बावजूद भी सार्वजनिक व आम रास्ता होना उल्लेखित करते हुए प्रस्ताव लिया जाकर गलत सूचना श्रीमान तहसीलदार को भिजवाई गई तथा तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने बिना मौके की जॉच व देखे ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर को धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम के तहत रास्ता दर्ज करने के आदेश बाबत् प्रस्ताव भिजवाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलार्थी को पक्षकार बनाये तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जो खारिज किये जाने योग्य है।

खसरा नम्बर 189 रकबा 1.1900 हैक्टेयर बारानी 2 में कभी भी किसी प्रकार का कोई आम रास्ता व सार्वजनिक रास्ता नही रहा है। और ना ही वर्तमान मे कोई रास्ता चालू है उक्त वर्णित भूमि पर अपीलार्थी काबिज काश्त होकर उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है अपीलाधीन आदेश की आड में भूमि खसरा नम्बर 189 मे से रास्ता निकालने के लिए रेस्पोडेण्ट्स उतारू है जिससे अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा अपीलार्थी की भूमि में से अवैध रूप से रास्ता निकाल देगे। खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नम्बर 189 की भूमि में से कभी भी किसी प्रकार का कोई रास्ता नही रहा है उसके बावजूद भी अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध पारित किया गया है उक्त आदेश से अपीलार्थी के हक अधिकार प्रभावित होगे तथा अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप में नही हो सकेगी। तथा रेस्पोडेण्ट अनुचित रूप से अपीलार्थी की भूमि पर अपीलाधीन आदेश की आड में काबिज हो जायेगे तथा अवैध रूप से रास्ता निकाल देगें। इसलिए अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2025 को अपास्त किया जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के आदेश दिनांक 02.04.2025 की जानकारी प्रार्थी/अपीलार्थी को नही रही क्योकि प्रार्थी/अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में ना तो कोई तामील नोटिस भिजवाया गया और ना ही पक्षकार बनाया गया और ना ही किसी प्रकार से उक्त प्रकरण की जानकारी प्रार्थी/अपीलार्थी को दी गई। उक्त प्रकरण की जानकारी प्रार्थी/अपीलार्थी को तब हुई जब प्रार्थी/अपीलार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 189 पर दिनांक 09.06.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या–2 जेसीबी मशीन लेकर रास्ता निकालने आया तथा आदेश दिनांक 02.04.2025 की जानकारी दी। जिस पर प्रार्थी/अपीलार्थी ने दिनांक 13.06.2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर से आदेश दिनांक 02.04.2025 की नकल प्राप्त की। प्रार्थी/अपीलार्थी को दिनांक 13.06.2025 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त होने पर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर उक्त अपील माननीय न्यायालय में बिना किसी प्रकार की अनुचित देरी किये जानकारी होने से अन्दर मियाद पेश की जा रही है जानकारी के अभाव में गुजरा समय को क्षमा किये जाने का उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश किया गया है। जिसको न्यायहित में स्वीकार किया जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है। प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से उक्त अपील अपीलाधीन आदेश की जानकारी के अभाव में नियत समयावधि में पेश नहीं की जा सकी क्योंकि प्रार्थी/अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं रही। प्रार्थी/अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2025 की जानकारी नहीं रही। प्रार्थी/अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 09.06.2025 को होने पर आदेश की नकल दिनांक 13.06.2025 को अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर उक्त अपील बिना किसी देरी के आदेश की जानकारी होने से नियत समयावधि में पेश की गई है तथा अपील पेश करने में जो देरी हुई है। वह प्रार्थी/अपीलार्थी ने जानबूझकर नहीं की है, आदेश की जानकारी के अभाव में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाना अत्यन्त आवश्यक व प्रार्थनीय है। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है जो किसी भी सूरत में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है यदि प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर गुणावगुण के आधार पर निस्तारित नहीं किया जाता है तो प्रार्थी/अपीलार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा तथा रेस्पोडेन्ट्स अपने अनुचित मकसद में कामयाब हो जायेगें तथा प्रार्थी/अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत पेश उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर अपील को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश फरमाया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थी/अपीलार्थी ने उक्त उनवानी अपील विधिवत रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। अपील में वर्णित खसरा नम्बर 189 रकबा 1.1900 हैक्टेयर वाके ग्राम चला की ढाणी, पटवार हल्का मण्ढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान की भूमि अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि है जिस बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष झूठी व मंनगढत मौका रिपोर्ट पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2025 बिना

प्रार्थी/अपीलार्थी को पक्षकार बनाये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित करवाया है। अपीलार्थी की उक्त वर्णित भूमि में कभी भी किसी प्रकार का आम रास्ता व सार्वजनिक रास्ता नही रहा है उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2025 पारित करते हुए अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि मे से गैर मुमकिन रास्ता निकाले जाने का आदेश पारित किया है। इसलिए प्रार्थी/अपीलार्थी के हक व अधिकार प्रभावित होने से उक्त अपील प्रस्तुत करना आवश्यक होने से धारा 96 सीपीसी के प्रावधानों के तहत उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2025 में प्रार्थी/अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्राथी/अपीलाथी को सुनवाई का अवसर नहीं मिला, प्रार्थी/अपीलार्थी को उक्त आदेश से अपूर्तनीय क्षति कारित होगी क्योकि प्रार्थी/अपीलार्थी की भूमि पर अवैध रूप से अप्रार्थीगण रास्ता निकालने पर उतारू है प्रार्थी/अपीलार्थी अपने उक्त वर्णित भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा साज पूर्वक न्यायिक सिद्धान्तों के परे जाकर उक्त आलौच्य अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थी/अपीलार्थी के हितों पर कुठाराघात किया गया है जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी के हक व अधिकार प्रभावित होने से व अपीलार्थी हितबद्ध व्यक्ति होने से अपीलार्थी को उक्त अपील पेश करना आवश्यक हुआ इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी की उक्त अपील को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील को गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने की कृपा करे। अतः माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की उक्त अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांकित 02.04.2025 मुकदमा नम्बर 49/2025 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित किया गया, को निरस्त व अपास्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे तथा उक्त अपीलाधीन आदेश की आड में खोले गये नामान्तकरण संख्या 725 दिनांकित 01.05.2025 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 09.06.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा 18.03.2025 को चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन करवाने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रेषित किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर की रिपोर्ट अनुसार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट, जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में आवगमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों को राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम चला की ढाणी पटवार मण्डल मण्ढोली तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.52 हैक्ट0 किस्म बंजड में से 0.0240 हैक्ट0, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.44 हैक्ट0, किस्म बारानी–ा में से 0.0330 हैक्ट0, खसरा नम्बर 189 रकबा 1.19 हैक्ट0, किस्म बारानी–ा में से 0.04 हैक्ट0 रास्ता कुल 04 मीटर चौडा व 230 मीटर लम्बाई कुल 920 वर्ग मीटर का गै0मु0 रास्ता का मुख्य सडक चला की ढाणी मावण्डा कलां से ढाणी सिरसावाली में पानी की टंकी तक का प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्रेषित किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत मण्ढोली का मांग पत्र, प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, रास्ते के संलग्न फोटोग्राफ, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित कर मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट पेश की गई।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 18.03.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया गया कि वे प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने एवं संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे में तरमीम की किये जाने एवं उक्त गै0मु0 रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखने, तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रखने तथा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के अपीलाधील आदेश दिनांक 02.04.2025 पारित किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.04.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर